तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5327/2005/भीलवाडा हस्तुबाई व अन्य बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.06.22	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता प्रार्थी। श्री योगेन्द्र सिंह व श्री अरूण प्रजापति, अधिवकत अप्रार्थीगण के। **निर्णय** प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-09-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेशानुसार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाडा ने प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत वस्तुस्थिति हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त करवाने का खारिज किया है। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने निगरानी मंडल में प्रस्तुत की है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी में सुनी गयी । योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश की अवमानना की है इसलिए प्रकरण में मौका स्थिति देखा जाना आवश्यक था क्योंकि अप्रार्थीगण ने परीक्षण न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रार्थी का फसल नहीं बोने दे रहे थे और पूर्व में काश्त की फसल को भी नष्ट कर दिया तथा प्रार्थी के साथ मारपीट करने को आमादा है। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय की पूर्णरूप से अवमानना की जा रही थी इसलिए कमिश्नर नियुक्त किया जाना आवश्यक था। इसी	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5327/2005/भीलवाडा हस्तुबाई व अन्य बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को विधि विरूद्ध आदेश से खारिज कर दिया जो निरस्तनीय है। उनका कथन है कि पीरक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश नॉन–स्पीकिंग एवं नॉन–रिजण्ड आदेश है जो केस डिसाईडड की श्रेणी में नहीं आता है। विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी भी वाद में न्यायालय विवाद में किसी विषय के विशदीकरण हेतु कमिश्नर नियुक्त कर स्थानीय अन्वेषण करवा सकता है। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने ऐसा नहीं कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जो आधार लिये वे बेबुनियाद व निराधार थे। यदि प्रार्थी का इतना नुकसान हुआ होता तो उसके द्वारा विधिक कार्यवाही की जानी चाहिए थी। इस बाबत उसके द्वारा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इसी आधार पर परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.05 एक अन्तरिम आदेश है जिसमें परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण को वास्ते शहादत प्रार्थी हेतु नियत किया गया है। इसलिये ऐसे अन्तरिम आदेश के विरूद्ध माननीय मण्डल में निगरानी पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक अंतिम आदेश ना होकर एक अंतरिम आदेश है तथा इस आदेश को निस्तारित प्रकरण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।	

›तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/5327/2005/भीलवाडा हस्तुबाई व अन्य बनाम बंशी व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। इस निगरानी में वर्णित समस्त तथ्यों व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.05 ना तो दावे से संबंधित है और ना ही स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित है। निगरानीधीन आदेश अवमानना प्रकरण से संबंधित है, जिसमें उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने स्तर पर अपने–अपने पक्ष की साक्ष्य प्रस्तुत की जाकर अवमानना प्रकरण का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है। अवमानना प्रकरण को सिद्ध या खारिज किये जाने का दायित्व संबंधित पक्षकारों का होता है। न्यायालय के माध्यम से किसी भी एक पक्षकार के पक्ष में साक्ष्य एकत्रित किये जाने की कार्यवाही को न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। उक्त प्रकरण में 12 वर्ष बाद न्यायालय के स्तर पर किसी प्रकार का मौका निरीक्षण करने पर भी पूर्व की स्थितियां पूर्णतया बदल चुकी होगी। अतः यह संबंधित न्यायालय का विवेकाधिकार है कि वह ऐसे प्रकरण में किस प्रकार की कार्यवाही करना उचित समझता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.05 विधिसम्मत व न्यायसगंत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने खारिज की जाती है एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.09.05 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	